न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–284/2022

शिवपूजन यादव.................................वादी।

बनाम्

अमावश यादव वगैरह्................................प्रतिवादीगण।

आदेश

20.12.2024 वादी की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–30.04. 2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, दफा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 02 जयराम यादव की मृत्यु दिनांक 04.07.2023 को हो चुकी है। वादी जो बुजुर्ग आदमी है, को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मरे हुए आदमी का नाम अर्जी से समय सीमा के अंतर्गत बिलोपित कराया जाता है तथा अनुरोध करते है मृत प्रतिवादी सं0 02 जयराम यादव का नाम इस वाद से कलमजद करते हुए उनके वारीसान जीरा देवी, संतोष यादव, मनोज यादव, अनिल कुमार, सुनिल कुमार, पुष्पा देवी तथा सुमित्रा देवी का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के प्रतिस्थापन आवेदन पर अनापत्ति अंकित करते है।

उभय पक्षों को सुना तथा अवलोंकन किया। उक्त आवेदन शपथ पत्र पर समर्थित है तथा प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गय है। अतः उपरोक्त के आलोक में वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक– 30.04.2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा मृत प्रतिवादी सं0 02 जयराम यादव का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा उनके कानूनी वारीसानों जीरा देवी, संतोष यादव, मनोज यादव, अनिल कुमार, सुनिल कुमार, पुष्पा देवी

लगातार
20.12.2024

तथा सुमित्रा देवी का नाम के मृत प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय मृत प्रतिवादी सं0 02 जयराम यादव का नाम कलमजद करते हुए उनके वारीसानों का नाम मृत प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू आवश्यक अपेक्षीकाएँ दाखिल करें तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–28.02.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)

Yxkrkj
21-10-024